# कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बिजनौर

पत्रांकः 2021/bjr/bijnor/प–05/cfo दिनांकः फरवरी 10 ,2021

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी,
जनपद बिजनौर ।

विषयः मैसर्स भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 मेरठ प्रादेशिक कार्यालय मेरठ को द्वारा खसरा /गाटा स0–155, 156 के हिस्से वाली भूमि ग्राम– नवादा कैशो स्यौहारा से ठाकुरद्वारा रोड तहसील धामपुर जनपद बिजनौर पर प्रस्तावित ग्रामीण पैट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट)लगाने हेतु अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी ऑख्या भेजे जाने विषयक ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आदेश पत्रांक 2186/जि0पू0अ0–एन0ओ0सी0/2020 दिनांक 12–10–2020 (इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 27–01–2021) के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल का मेरे द्वारा ओ0आई0एस0डी0–225 व पैट्रोलियम एक्ट 1934 एवं सम्बन्धित पैट्रोलियम रूल्स 2002 तथा समय–समय पर यथा संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुरूप निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य प्रकाश में आये–

1– प्रस्तावित स्थल स्यौहारा से ठाकुरद्वारा रोड पर स्थित है जॅहा तक अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते है।

2– प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई हाईटेंशन या लोटेंशन विद्युत लाईन नही गुजर रही है ।

3– प्रस्तावित स्थल अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से उपयुक्त है।

**अतः मैसर्स भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 मेरठ प्रादेशिक कार्यालय मेरठ को द्वारा खसरा /गाटा स0–155, 156 के हिस्से वाली भूमि ग्राम– नवादा कैशो स्यौहारा से ठाकुरद्वारा रोड तहसील धामपुर जनपद बिजनौर में प्रस्तावित ग्रामीण पैट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) की स्थापना किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ संस्तुति की जाती है –**

1– मानचित्र में दर्शाये गये नोट्स क0 स0 01 से 21 तक का पूर्णतया पालन किया जाना अनिवार्य है तथा अनुमोदित मानचित्र के अनुसार ही अण्डर ग्राउण्ड टैंकों को स्थापित कराया जाये ।

2– प्रस्तावित अण्डर ग्राउण्ड टैंक की स्थापना हेतु सभी निर्माण कार्य ओ0आई0एस0डी0–225 व पैट्रोलियम एक्ट 1934 एवं सम्बन्धित पैट्रोलियम रूल्स 2002 तथा समय–समय पर यथा संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुरूप किये जायेगे ।

3– अण्डर ग्राउण्ड टैंक के चारो तरफ मानचित्र में अंकित ऊँचाई की डाईक वाल का निर्माण किया जाये।

4– प्रस्तावित परिसर के ऊपर से कोई हाईटेंशन या लोटेंशन विद्युत लाईन नही गुजारी जायेगी ।

5–प्रस्तावित अण्डर ग्राउण्ड टैंकों की स्थापना के पश्चात भण्डारण से पूर्व अग्निसुरक्षा व्यवस्था ओ0आई0एस0डी0–225 व पैट्रोलियम एक्ट 1934 एवं सम्बन्धित पैट्रोलियम रूल्स 2002 तथा समय–समय पर यथा संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुरूप किये जायेगे ।

6– सभी अण्डर ग्राउण्ड टैंकों से टैंकर में डीजल भरते समय उचित अर्थिगं (सील्ड डीकन्टेशन) किया जायेगा।

7– समस्त विद्युत फिटिंग (पम्प ,मोटर व अन्य सभी उपकरण) फ्लैम प्रूफ रखना सुनिश्चित करेगे ।

8– टेंकर का इंजन बन्द करवाने के पश्चात ही पैट्रोलियम पदार्थो को भरा जाना चाहिये ।

9– अग्निशमन कार्य हेतु प्रशिक्षित स्टाफ का रखा जाना अनिवार्य होगा जिसको एच0एस0डी0 की गुण सम्बन्धी जानकारी हो ।

10– प्रस्तावित परिसर में 10 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर , फोम ट्राली 45 ली0 ,पर्याप्त मात्रा में बालू का रिजर्व स्टाक व 10 अदद सैण्ड बकेट्स एवं बैलचा की उपलब्धता सदैव बनायी रखी जाये ।

11– प्रस्तावित परिसर में धुम्रपान निषेध का बोर्ड एवं अग्निशमन केन्द्र के फोन न0 101 ,265443, 9454418556 का बोर्ड स्थापित कराना जाये ।

12–प्रश्नगत परिसर में लाईटर ,दीयासलाई ,मोमबत्ती इत्यादि अग्नि/चिंगारी उत्पन्न करने वाले श्रोतो एवं अन्य किसी ज्वलनशील पदार्थो का रख–रखाव पूर्णतयः वर्जित होगा ।

—2

S.F.O.

Amol Singla
Executive Engineering (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Limited
Abu Ka Makbara, Kaiser Ganj
Meerut - 250002 (U.P.)

राजेश शर्मा
प्रादेशिक प्रबंधक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)

13–समस्त विधुत उपकरणों की सप्लाई 230 वोल्ट सिगंल फेस वाले कम से कम पर एक अर्थिंग किया जाये तथा 400 वोल्ट 03 फेस को कम से कम दो प्वाइंट पर अर्थिंग दी जाये तथा इमरजेंसी स्टोप सिस्टम लगाया जाये जिससे समस्त उपकरणों की पॉवर सप्लाई बन्द हो जाये ।

14– जी0सैट या टॉसफार्मर में कम से कम दो अर्थिंग दी जाये

15– प्रस्तावित स्थल पर उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अण्डर ग्राउण्ड टैंक की स्थापना एवं अग्निशमन व्यवस्था मानकों के अनुरूप स्थापित कराये जाने के पश्चात पैट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण से पूर्व अग्निशमन विभाग से उपरोक्त के सम्बन्ध में निरीक्षण/परीक्षण कराकर अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा । जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर निर्गत की जा रही सस्तुति ऑख्या स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा ।

संलग्न : अनुमोदित मानचित्र ।

10/03/24

( अजय कुमार शर्मा )
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बिजनौर

प्रतिलिपि: :मैसर्स भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 मेरठ प्रादेशिक कार्यालय मेरठ को द्वारा खसरा /गाटा स0–155, 156 के हिस्से वाली भूमि ग्राम– नवादा कैशो स्यौहारा से ठाकुरद्वारा रोड तहसील धामपुर जनपद बिजनौर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथप्रेषित कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कोई भी अनियमितता पायी जाती है तो आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी

Amol Ingle
Executive Engineering (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Limited
Abu Ka Maqbara, Kaiser Ganj
Meerut - 250002 (U.P.)

राजेश शर्मा
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)